उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग-1
संख्या : 1660/चि-1-2002-109/2002
देहरादून : दिनांक 06 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या ऐसे संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" आदि पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 में जहां-जहां शब्द पद 'उत्तर प्रदेश' 'लखनऊ' 'इम्पीरियल बैंक' आया है, वहां शब्द 'उत्तरांचल' 'देहरादून' 'स्टेट बैंक आफ इण्डिया' पढ़ा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 के अध्याय-2 की धारा-4 की उपधारा-ख को अपसारित समझते हुए बोर्ड में 15 मेम्बर (सदस्य) के स्थान पर 12 मेम्बर (सदस्य) समझे जायें।

4. उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 31, 32, 33 तथा 34 के लिये बने परिशिष्ट में से उन शिक्षाओं का संदर्भ जो बिन्दु-3 व 4 में दिये हुये हैं अपसारित समझा जायेगा।

5. उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 53-ब में आगरा तथा कानपुर विश्वविद्यालय पर कुमॉयू विश्वविद्यालय, नैनीताल तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल पढ़ा जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 1660(1)/चि0-1-2002-109/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।

प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।

स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल।

5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव